स्कूल शिक्षा विभाग
मंत्रालय
वल्लभ भवन,भोपाल-462004

क्रमांक-539/736/2018/20-3 भोपाल, दि0 28/3/2018

प्रति,

सचिव
केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा मण्डल,
नई दिल्ली।

विषयः- अशासकीय भास्कर अकादमी ए0बी0रोड, लसूड़िया मोरी, इंदौर, म0प्र0 को सीबीएसई से संबंद्धता हेतु अनापत्ति प्रमाण पत्र में पता परिवर्तन किये जाने की अनुमति बावत्।

संदर्भः- इस विभाग का आदेश क्रमांक-एफ 73-27/2004/20-3, दि0 22.5.2004

उपरोक्त विषयान्तर्गत संदर्भित आदेश का कृपया अवलोकन करें।

2/ निर्देशानुसार, निवेदन है कि संदर्भित आदेश में अंकित पता-अशासकीय भास्कर अकादमी ए0बी0 रोड, लसूड़िया मोरी, इंदौर के स्थान पर अशासकीय भास्कर एकेडमी, रिंगनोदिया, तह0 सांवेर, जिला इंदौर पता परिवर्तन किये जाने की अनुमति प्रदान की जाती है।

28/3/18
(प्रमोद सिंह)
उप सचिव
म0प्र0शासन, स्कूल शिक्षा विभाग

पृ0 क्रमांक-540/736/2018/20-3 भोपाल, दि0 28/3/2018

प्रतिलिपिः-

(1) आयुक्त, लोक शिक्षण, म0प्र0 भोपाल।
(2) जिला शिक्षा अधिकारी इंदौर, जिला इंदौर, म0प्र0
(3) प्राचार्य, अशासकीय भास्कर एकेडमी, रिंगनोदिया, तह0 सांवेर, जिला इंदौर, म0प्र0
(4) फोल्डर प्रति,

सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित।

28/3/18
उप सचिव
म0प्र0शासन, स्कूल शिक्षा विभाग

37 — Encl. 7

(7)

मध्य प्रदेश शासन
स्कूल शिक्षा विभाग
मंत्रालय
वल्लभ भवन, भोपाल – 462004
= = = = = = = = = = = = =

क्रमांक – एफ 73 -27 /20-3/2004/ भोपाल, दिनांक 22/05 2004

प्रति,

सचिव,
केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा मण्डल,
प्रीत विहार- नई दिल्ली ।

विषय :- अशासकीय भास्कर अकादमी ए. बी. रोड, लसूड़िया मोरी, इन्दौर, म.प्र. को सी.बी.एस.ई. / आई.सी.एस.ई. से सम्बद्धता हेतु एन.ओ.सी. देने बाबत् ।

== 00 ==

राज्य शासन द्वारा अशासकीय भास्कर अकादमी ए. बी. रोड, लसूड़िया मोरी, इंदौर को सी.बी.एस.ई. / आई.सी.एस.ई. नई दिल्ली से सम्बद्धता हेतु अनापत्ति प्रमाण पत्र विशेष प्रकरण मानकर निम्नलिखित शर्तों पर दिया जाता है :-

01. संस्था को अपनी कार्य समिति में एक प्रतिनिधि जिला शिक्षा अधिकारी को स्वयं को या उनके प्रतिनिधि को शामिल करना होगा तथा दूसरे प्रतिनिधि के रूप में माध्यमिक शिक्षा मण्डल के पंजीयक (परीक्षा) को या उनके प्रतिनिधि को शामिल करना अनिवार्य है ।

02. नीतिगत निर्णयों में इन दोनों मनोनीत सदस्यों को आमंत्रित करना होगा ।

03. मध्यप्रदेश शासन द्वारा शिक्षा के प्रचार – प्रसार के लिए लिये गये निर्णयों में यदि संस्था से किन्हीं कार्यों की अपेक्षा की जाती है तो ऐसे कार्यों को संस्था को करना होगा ।

04. खेलकूद गतिविधियों में यदि संस्था चाहे तो सदस्यता ग्रहण कर सकता है । परन्तु ऐसा न होने पर भी यदि मध्यप्रदेश शासन, स्कूल शिक्षा विभाग को इनके किसी खेल परिसर या भवन की आवश्यकता पड़ती है तो उपलब्ध कराना होगा ।

....शेष पृष्ठ 2 पर....

Secretary,
Bhaskar Academy,

President
BHASKAR SANSKAR SHIKSHAN SANSTHA

05. राष्ट्रीय कार्यक्रमों को संचालित करने के लिए यदि संस्था या भवन या स्टाफ की सेवाओं की आवश्यकता होगी तो उन्हें उपलब्ध कराना होगा ।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से
तथा आदेशानुसार

(एम० एल० आर्य)
अवर सचिव
म०प्र० शासन, स्कूल शिक्षा विभाग

पृष्ठांकन क्रमांक एफ 73-27/20-3/2003 भोपाल, दिनांक-

प्रतिलिपि :-

1. आयुक्त, लोक शिक्षण, म०प्र० भोपाल ।
2. जिला शिक्षा अधिकारी, जिला - इन्दौर, (मध्यप्रदेश)
3. प्राचार्य, अशा० भास्कर अकादमी ए. बी. रोड लसुड़िया, मोरी, इन्दौर, म०प्र०

की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित है ।

अवर सचिव
म०प्र० शासन, स्कूल शिक्षा विभाग

//मानकर//
28.06.03

Secretary
Bhaskar Academy

Principal